प्रेस नोट

टाटा कम्पनी के नाम पर कूटरचित दस्तावेज गलत पता दर्शित कर बैंक में खाता खोलकर टाटा जूडियो की फ्रेन्चाइजी देने के नाम से धोखाधड़ी कर रूपये 11 लाख 80 हजार जमा कराने में संलिप्त अन्तर्राज्यीय साइबर अपराधी गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्राधिकारी अपराध के निकट पर्यवेक्षण में साइबर अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के दृष्टिगत घटित घटनाओं के त्वरित अनावरण एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपदीय साइबर क्राइम पुलिस थाना टीम द्वारा साइबर थाना फतेहपुर पर वादी श्री प्रियांक रस्तोगी की सूचना पर पंजीकृत अभियोग अ0सं0 04/24 धारा 406, 420 भादवि व 66 सी, 66 डी आईटी एक्ट का सफल अनावरण करते हुये संकलित साक्ष्य के आधार पर घटना में संलिप्त अभियुक्त पंकज शर्मा को पश्चिम बंगाल राज्य के थाना भाटपारा क्षेत्र से गिरफ्तार कर अभियोग में अपराध धारा 467, 468, 471, 411 भादवि की बढोतरी करते हुये विधिक अनुक्रम में ट्रांजिट रिमाँण्ड के आधार पर जनपद फतेहपुर लाकर सम्बन्धित न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान-

दिनांक 14.09.2024 समय 16.50 बजे स्थान- रिलांयस जूट मिल इण्टरनेशनल लिमिटेड के गेट थाना भाटपारा जिला 24 नार्थ परगना पश्चिम बंगाल ।

गिरफ्तार अभियुक्त विवरण –

1. पंकज शर्मा S/O स्व0 उत्तम शर्मा C/O शंकर प्रसाद शर्मा निवासी 79/1 धनियापारा आनंदूपुरी बैरकपुर थाना टीटागढ़ जनपद 24 नार्थ परगना पश्चिम बंगाल हाल पता वी0एम0 मार्ट विवेकानन्द पल्ली थाना भाटपारा जिला 24 नार्थ परगना पश्चिम बंगाल ।

बरामदगी का विवरण-

1. घटना में प्रयुक्त वीवो एण्ड्रायड मोबाइल फोन- एक अदद
2. साइबर फ्राड (माल मशरूका) रूपया 40000 रूपया कैश।

महत्वपूर्ण तथ्य-

1. अभियुक्त पंकज शर्मा शिक्षित है तथा रिलायंस जूट मिल भाटपारा (पश्चिम बंगाल) में नौकरी करता है।
2. अभियुक्त पंकज शर्मा द्वारा सह अभियुक्तों के साथ मिलकर विभिन्न रजिस्टर्ड कम्पनियों के कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर गूगल पर जरिये कम्पनी के नाम से प्रोफाइल बनाकर उसमें स्वयं का सम्पर्क नम्बर व मेल आईडी अपलोड कर आम जनमानस से कम्पनी की फ्रेन्चाइजी देने के नाम पर धोखाधड़ी की जाती है।

3. अभियुक्त पंकज शर्मा द्वारा विभिन्न बैंको में अलग अलग कम्पनियों का स्वयं प्रोपाइटर बनकर करीब दस बैंक खाता खोला गया है जिसमें स्वयं की पहचान के रूप में प्रस्तुत आधार कार्ड पर दर्शित पता गलत है।
4. घटना में सह अभियुक्तो द्वारा प्रयुक्त अधिकांश मोबाइल नम्बर अन्य व्यक्तियों के नाम पता पर प्राप्त किया गया है।
5. अभियुक्त पंकज शर्मा एवं सहअभियुक्तो द्वारा धोखाधड़ी का रूपया बैंक खाते में जमा होने का मैसेज प्राप्त होते ही उसी दिन बैंक खाते से धनराशि आहरित कर ली जाती है।
6. अभियुक्त पंकज शर्मा अनुसार उसके द्वारा खोले गये सभी बैंक खातों में एक ही ईमेल आईडी प्रयोग की गई है जिससे खातों की सभी ट्रांजैक्शन की जानकारी प्राप्त होती रहती है।
7. अभियुक्त पंकज शर्मा एवं सहअभियुक्तो द्वारा उत्तर प्रदेश सहित अन्य विभिन्न प्रान्तो के लोगो से भी कम्पनी के नाम पर आनलाइन फ्राड की घटना कारित की गई है।
8. घटना में तथ्यों/ साक्ष्यों का सत्यापन कर संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।
9. अभियुक्त पंकज शर्मा एवं सह अभियुक्तों द्वारा उत्तर प्रदेश सहित प्रान्तों में आनलाइन फ्राड की कारित घटनाओं में उपलब्ध बैंक खातो के सत्यापन से करीब दो करोड़ रूपये से अधिक का संदिग्ध लेन देन होना पाया गया है।
10. अभियुक्त पंकज शर्मा के उपलब्ध बैंक खातों में संदिग्ध ट्रांजैक्शन का सत्यापन कर सम्बन्धित जनपद/ प्रान्त को सूचना प्रेषित की जायेगी।

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 04/24 धारा 406, 420, 467, 471 भादवि व 66 सी, 66 डी आईटी एक्ट साइबर क्राइम थाना जनपद फतेहपुर
2. NCRP शिकायत संख्या – 31107240110079 थाना नदियाड वेस्ट जनपद खेड़ा गुजरात के शिकायतकर्ता अल्पेश प्रजापति से जुबलेन्ट फूड वर्क लिमिटेड कम्पनी के नाम पर रूपया 66 लाख की धनराशि का फ्राड किया गया है जो अभियुक्त पंकज शर्मा के एक्सिस बैंक शाखा इच्छापुर में जमा हुआ है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह, साइबर क्राइम पुलिस थाना फतेहपुर
2. उ0नि0 रणधीर सिंह, साइबर क्राइम पुलिस थाना फतेहपुर
3. का0 प्रवीन सिंह, साइबर क्राइम पुलिस थाना फतेहपुर
4. का0 अजय कुमार, साइबर क्राइम पुलिस थाना फतेहपुर

प्रभारी निरीक्षक
साइबर क्राइम पुलिस थाना
जनपद फतेहपुर